

तारीख
हुक्म

24/01/22

पत्रावली में शुरुआत में उक्तपक्ष में उपस्थित
प्रकरण में मुल वाड का निहाल
हो जाने से उक्त जाण्ड में कोई
कार्यवाही चलाने का औचित्य नहीं
है उक्त प्रकरण को इसी तरह पर
जाण्ड की कार्यवाही समाप्त की
जाती है प्रकरण पूर्व में जारी
आव्यक्त निवेद्यात्ता दिनांक 12/1/21
को स्वतः निरस्त माना जाये पत्रावली
फिराए इतना ही पर दल नम्बर
ले पत्र हो।

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करंडा

